राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –1229–एक / 14 जिला –श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.07.2015	आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं और न ही उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित ।समय समय पर तीन वार आवाज लगवाई गई उसके उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक व उनके अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 श्योपुर R 1229-I/14

श्री कुंवरसिंह कुशवाह अभिभाषक
द्वारा आज दि. 15-4-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बक्शी सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह सिख,
निवासी- ग्राम मेवाड़ा, तहसील व
जिला-श्योपुर ...... निगरानीकर्ता

बनाम

कुवेन्द्र सिंह पुत्र हरिपाल सिंह,
निवासी-ग्राम चकवमूल्या, तहसील व
जिला श्योपुर

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 88/2010-11 कुवेन्द्र सिंह बनाम बक्शी सिंह आदेश दिनांक 19.03.2014 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदनपत्र के आधार निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो प्रकरण पंजीबद्ध किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, मूल प्रकरण में अपर आयुक्त चम्बल के आदेश के विरुद्ध श्रीमान् जी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 352/II/2011 श्योपुर ताराचन्द्र बनाम कन्हैयालाल गत पेशी 22-03-2011 नियत थी, की जानकारी आवेदन दिनांक 20-02-13 एवं 07-02-2014 देकर अपर कलेक्टर श्योपुर को अवगत कराया कि इस केस में वरिष्ठ न्यायालय में केस लम्बित है जब तक राजस्व मण्डल से प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक कार्यवाही स्थगित करने हेतु आवेदनपत्र निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने दिनांक 20-02-13 व 07-02-14 को दिये उन आवेदनपत्रों का निराकरण किये बिना प्रकरण बहस हेतु नियत कर दिया, इस कारण भी अपर कलेक्टर श्योपुर के यहां लम्बित प्रकरण की समस्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।
4. यह कि, निगरानी आवेदनपत्र समय सीमा में होने से स्वीकार योग्य है।
5. यह कि, शेष अन्य तथ्य तर्क के समय निवेदित किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि अपर कलेक्टर श्योपुर के यहां लम्बित प्रकरण की समस्त आदेशों की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें।

दिनांक 15-04-2014
स्थानः- ग्वालियर

निगरानीकर्ता

(बक्शी सिंह)
द्वाराः अभिभाषक

(कुंवर सिंह कुशवाह)